01.08.16

आवेदक द्वारा श्री डी.के.पाण्डेय अधि. उप.।
अभियोजन द्वारा श्री एस.के. श्रीवास्तव ए.जी.पी.।
आपत्तिकर्ता की ओर से श्री ठाकुरदास अधि. उप.
पुलिस थाना आंतरी के अपराध कं.95/16 अंतर्गत धारा 323, 294, 506, 452 भा.द.सं. की केस डायरी प्राप्त हुई।

उभय पक्षों को आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर सुना गया।

आवेदक की ओर से आवेदन इस प्रकार है कि आवेदक का यह प्रथम जमानत आवेदन है। आवेदक के विरूद्ध फरियादिया श्रीमति पूजा वर्मा की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना आंतरी में अपराध कं.95/16 अंतर्गत धारा 323, 294, 506, 452 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है तथा आवेदक को दिनांक 27.07.16 को बंदी बनाकर अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया जहां आवेदक ने धारा 437 जा.फौ. का आवेदन पेश किया जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर जेल भेज दिया गया है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व में भी अपराध कं.2/16 अंतर्गत धारा 498ए, 323, 294 भा.द. सं. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का प्रकरण पूर्व में दिनांक 01.01.16 को पुलिस थाना आंतरी में

फरियादिया द्वारा दर्ज करायी थी। उपरोक्त प्रकरण में आरोपीगण की अग्रिम जमानत मान्नीय न्यायालय से स्वीकार की जा चुकी है तथा प्रकरण का अभियोग पत्र मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक पर आरोपित अपराध में आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा निहित नहीं है। आवेदक मान्नीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन करने को तैयार व तत्पर है। निवेदन है कि आवेदक को उचित जमानत पर मुक्त करने का आदेश प्रदान करने की कृपा की जावे।

आवेदन के समर्थन में जितेन्द्र ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

आपत्तिकर्ता की ओर से आपत्ति पेश कर व्यक्त किया कि आरोपी प्रार्थिनी का पति है उसके विरूद्ध पूर्व में धारा 498ए भा.द.सं. का प्रकरण कायम कराया गया था जिसकी वजह से विवाद चल रहा है। प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो पुनः प्रार्थी व उसके परिवारजन के साथ कोई गंभीर घटना कारित कर सकता है क्योंकि आरोपी ने यह धमकी दी है कि वह प्रार्थिनी द्वारा गवाही दिए जाने पर जान से खत्म कर देगा, वह बी.एस.एफ. में हवलदार है। प्रकरण में अभी अनुसंधान होना बाकी है। निवेदन है कि आपत्ति स्वीकार की जाकर आरोपी/आवेदक का जमानत आवेदन निरस्त किया जावे।

अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना आंतरी के अपराध क्रं. 95/16 अंतर्गत धारा 323, 294, 506, 452 भा.द.सं. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने दिनांक 27.07.16 को फरियादिया की मां के घर पर जाकर फरियादी द्वारा पूर्व में उसके विरूद्ध दहेज प्रताड़ना के संबंध में दर्ज कराए गए प्रकरण में राजीनामा करने की धमकी दी और उसके साथ मारपीट की। अभियुक्त करीब

Order or proceeding with Signature

दिनांक 28.07.16 से न्यायिक निरोध में है। प्रकरण में धारा 452 भा.द.सं. को छोडकर शेष अपराध जमानतीय प्रकृति के है। अभियुक्त 4 दिन से न्यायिक निरोध में है। अपराध जे.एम.एफ.सी. द्वारा विचारणीय है। अतः अभियुक्त की ओर से जे.एम.एफ.सी. डबरा के संतुष्टि योग्य 20 हजार रूपए की जमानत और इतनी ही राशि का मुचलका पेश हो तो उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापस की जावे एवं एक प्रति अधिनस्थ न्यायालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

1/8/2016

(ऐ.के.गर्ग)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश